न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 113/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. फजरी बेवा दीनू
2. असगर
3. इसलाम
4. नूरमौहम्मद पुत्रान दीनू जाति मेव निवासी गोधान तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:-------अपीलांटस

बनाम

1 सूबेखां (फौत)

1/1 मैमूना पत्नि सूबेखां

1/2 रहमू पुत्र सूबेखां

1/3 लियाकत पुत्र सूबेखां

1/4 वसीमा नाबालिग पुत्री सूबेखां जरिये सरपरस्त माता मैमूना

1/5 हसीना पुत्री सूबेखां पत्नि जुबेरखां जाति मेव निवासी हाल ग्राम फिरोजपुर झिरका तहसील व जिला नूंह हरियाणा

1/6 मेहनाज पुत्री सूबेखां पत्नि राहुल जाति मेव निवासी हाल ग्राम भूरपहाडी तहसील किशनगढबास जिला अलवर

1/7 सररी पुत्री सूबेखां पत्नि कल्लू जाति मेव निवासी हाल ग्राम फिरोजपुर झिरका तहसील व जिला नूंह हरियाणा

1/8. जफरीना पुत्री सूबेखां पत्नि निजामु जाति मेव निवासी हाल ग्राम भूरपहाडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर

1/9 सकुनत पुत्री सूबेखां पत्नि तहसीन जाति मेव निवासी हाल ग्राम भूरपहाडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर

1/10. शहनाज पुत्री सूबेखां पत्नि तामूर जाति मेव निवासी हाल ग्राम कारोली नौगांवा तह0 रामगढ जिला अलवर

2 सुभानखां

3 इसेखां पुत्रान छज्जू जाति मेव निवासी गोधान तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी,
तिजारा दिनांक 19.1.11

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री परमानंद मेहरा
2. वकील रेस्पो0 :– सुश्री सुषमा शर्मा

निर्णय दिनांक 22.03.2021

---

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी, तिजारा द्वारा राजस्व वाद संख्या 1/166/03 में पारित निर्णय दिनांक 19.1.11 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर0 टी0 एक्ट डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी साबिक खसरा नम्बर 75 रकबा 12 बिस्वा हाल नम्बर 128 रकबा 15 एयर वाके ग्राम गोधान तहसील तिजारा के खातेदार वादीगण के पिता छज्जू थे । जमाबन्दी सम्वत 2020 में वादीगण के पिता छज्जू का नाम बतौर खातेदार दर्ज था । उनके देहान्त के बाद वादीगण काबिज है । वादीगण के पिता ने कभी भी आराजी प्रतिवादीगण के दादा के यहां रहन नहीं रखी थी । परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2029 में विवादित आराजी पर घोतालील पुत्र ईदू के नाम का मूर्तहन राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने उक्त वाद अपीलाधीन निर्णय द्वारा डिक्री किया है, जिसकी प्रतिवादीगण ने यह अपील प्रस्तुत की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि तहत अदालत ने हमको सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया । हमारी गलत तौर पर इकतरफा की गई है । इसलिये अपील प्रस्तुत करने में देरी हुई है । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे । उन्होंने आगे तर्क दिये गये कि विवादित आराजी हमारे दादा के यहां वादी के पिता छज्जू ने रहन रखी थी । राशि प्राप्त की थी । रहन को फक नहीं कराया । हमको मूर्तहन के रूप में सही तौर पर दर्ज किया गया है । अतः अपील स्वीकार जावे ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि यह अपील मियाद बाहर है । विवादित भूमि हमारी कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है । हमारे पिता छज्जू ने इनके यहां रहन नहीं रखी थी । बंदोबस्त सम्वत 2029 में गलत तौर पर मूर्तहन का इन्द्राज कर दिया गया । जबकि इससे पूर्व की जमाबन्दी में हम खातेदार है । बंदोबस्त विभाग को साबिक इन्द्राजों को ही दोहराना चाहिये । साबिक इन्द्राजों को परिवर्तित करने का भू प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं है । गलत तौर पर इन्द्राज

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

परिवर्तित कर दिये गये । इनकी प्रोपर तामील हुई है । परन्तु ये जानबूझकर उपस्थित नहीं हुये । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर नरम रूख अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में नरम रूख अपनाया जाकर की गई देरी को क्षमा किया जाता है ।

6 इसके पश्चात प्रकरण की मेरिट्स पर गौर किया । तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2020 एग्जिविट–1 के अनुसार विवादित आराजी पर वादीगण के पिता छज्जू को खातेदार दर्ज किया हुआ है । जमाबन्दी बंदोबस्त सम्वत 2029 में विवादित आराजी पर छज्जू पुत्र सम्पत कौम मेव साकिन देह हिस्सेदारान राहिन धोताली पुत्र ईदू मेव साकिन देह मूर्तहन का अंकन किया हुआ है । मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2029 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर बनना पाया जाता है । उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह सिद्ध है कि बंदोबस्त सम्वत 2029 से पूर्व विवादित आराजी वादीगण के पिता छज्जू की खातेदारी में दर्ज थी, परन्तु बंदोबस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के सम्वत 2029 में राहिन मूर्तहन का इन्द्राज कर दिया गया । बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजात को दोहराने का ही अधिकार है, उसे परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है । ना ही उसे किसी की खातेदारी परिवर्तित करने का अधिकार है । जहां तक प्रतिवादीगण की तामील का प्रश्न है तो इस सम्बन्ध में हमने तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न समन नोटिस का अवलोकन किया तो पाया कि सभी प्रतिवादीगण के समन नोटिस स्वयं प्रतिवादी नूरमौहम्मद ने प्राप्त किये है ।

7 उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों के अवलोकन की राशनी में हम तहत अदालत के निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

8 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.1.2011 यथावत रखे जाते हैं ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 113/12 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :–

1. फजरी बेवा दीनू
2. असगर
3. इसलाम
4. नूरमौहम्मद पुत्रान दीनू जाति मेव निवासी गोधान तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

:–––––––अपीलांटस

बनाम

4 सूबेखां (फौत)

1/1 मैमूना पत्नि सूबेखां

1/2 रहमू पुत्र सूबेखां

1/3 लियाकत पुत्र सूबेखां

1/4 वसीमा नाबालिग पुत्री सूबेखां जरिये सरपरस्त माता मैमूना

1/5 हसीना पुत्री सूबेखां पत्नि जुबेरखां जाति मेव निवासी हाल ग्राम फिरोजपुर झिरका तहसील व जिला नूंह हरियाणा

1/6 मेहनाज पुत्री सूबेखां पत्नि राहुल जाति मेव निवासी हाल ग्राम भूरपहाडी तहसील किशनगढबास जिला अलवर

1/7 सररी पुत्री सूबेखां पत्नि कल्लू जाति मेव निवासी हाल ग्राम फिरोजपुर झिरका तहसील व जिला नूंह हरियाणा

1/8. जफरीना पुत्री सूबेखां पत्नि निजामु जाति मेव निवासी हाल ग्राम भूरपहाडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर

1/9 सकुनत पुत्री सूबेखां पत्नि तहसीन जाति मेव निवासी हाल ग्राम भूरपहाडी तह0 किशनगढबास जिला अलवर

1/10. शहनाज पुत्री सूबेखां पत्नि तामूर जाति मेव निवासी हाल ग्राम कारोली नौगांवा तह0 रामगढ जिला अलवर

5 सुभानखां

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

6 इसेखां पुत्रान छज्जू जाति मेव निवासी गोधान तहसील तिजारा जिला अलवर राजस्थान

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखंड अधिकारी, तिजारा दिनांक 19.1.11

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री परमानंद मेहरा

2. वकील रेस्पो0 :– सुश्री सुषमा शर्मा

पर्चा डिक्री दिनांक 22.03.2021

अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 19.1.2011 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर